## Order Sheet [Contd] \_\_\_\_\_\_ Case No 321/2017 बी.ए

Case No 321/ 2017 41.5		
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12.09.2017	आवेदक / अभियुक्त मोहरसिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) गोहद से प्रठक 986 / 11 ई०फौ० शासन पुलिस एण्डोरी वि० राजकुमार आदि प्राप्त। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त मोहरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439	
2 TEN	जा०फी० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में आरोपी था और नियमित रूप से पेशी पर उपस्थित हो रहा था, किन्तु दिनांक 01.07.17 को उसे दस्त लगने के कारण पेशी पर उपस्थित नहीं सका था जिसकी सूचना अधिवक्ता को भी नहीं दे पाया था जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत जप्त कर दी गई। आवेदक दिनांक 02.08.17 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो गया है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक नियत पेशी पर बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाया था और इसी कारण उसके गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए थे और जैसे ही वह स्वस्थ हुआ विचारण न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो गया है और इसी आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 01.08.17 को अभियुक्त परीक्षण हेतु प्रकरण नियत था और उसी दिन आवेदक / अभियुक्त सहित आरोपी राजेश एवं मनोज अनुपस्थित हो गए थे। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि दिनांक 04.09.17 को आरोपी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो गया है। प्रकरण अभी भी आरोपी राकेश एवं मनोज की उपस्थित हो गया है। प्रकरण अभी भी आरोपी राकेश एवं मनोज की उपस्थित के लिए लंबित है। आवेदक / अभियुक्त ने दी गई जमानत का पूर्व में कभी भी	
	दुर्पयोग किया गया हो ऐसा दर्शित नहीं होता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत	

आवेदनपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः आदिशित किया जाता है कि आवेदक / अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 30,000 /- 30,000 /- (तीस-तीस हजार रूपए) रूपए की दो नवीन सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश करे कि वह न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित होगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर मुक्त कर दिया जावे। आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद ALLAND PARELED STATES OF THE PARELED STATES